न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 15/2021

बउनवान

दिलीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर आयु 21 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम बरानी तहसील बारां जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

1. रतन विद्या आयु 40 वर्ष पुत्री श्री रामकरण पत्नि श्री रामावतार जाति मीणा निवासी ग्राम सीमलिया, तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)
2. मुकलेश आयु 35 वर्ष पुत्री श्री रामकरण पत्नि श्री पुष्पचन्द जाति मीणा निवासी मेलखेडी तहसील व जिला बारां (राज0)
3. ममता आयु 19 वर्ष पुत्री श्री रामकरण, जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील व जिला बारां (राज0)
4. बद्री बाई आयु 65 वर्ष पत्नि श्री रामकरण जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील व जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां जिला बारां (राज.) (रेंस्पोडेंट्स)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

अपील विरूद्ध इंतकाल नं. 580 ग्राम बराना दिनांक 13.08.2021
अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी एडवोकेट (अपीलांट)
2. श्री महेश प्रकाश गौतम एडवोकेट (रेस्पो.कम 1 ता 4)

निर्णय दिनांक 04.11.2022

अपीलांट की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि खातेदार रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा निवासी ग्राम बरानी तहसील व जिला बारां के खाते की आराजी खाता संख्या 123 खसरा नंबर 245 रकबा 0.22 है., खसरा नंबर 307 रकबा 0.30 है., खसरा नंबर 318 रकबा 0.03 है., खसरा नंबर 319 रकबा 0.01 है., खसरा नंबर 380 रकबा 0.17 है., खसरा नंबर 418 रकबा 0.22 है., खसरा नंबर 423 रकबा 0.16 है., खसरा नंबर 426 रकबा 0.55 है, खसरा नंबर 48 रकबा 2.02 है, खसरा नंबर 49 रकबा 2.26 है, खसरा नंबर 675/364 रकबा 0.07 है., खसरा नंबर 79 रकबा 1.91 है., खसरा नंबर 80 रकबा 1.54 है., खसरा नंबर 86 रकबा 0.25 है., खसरा नंबर 88 रकबा 1.21 है., खसरा नंबर 92 रकबा 3.24 है., कुल किता 16 कुल रकबा 14.00 है. ग्राम बरानी खातेदार रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा की मृत्यु ... बहैसियत गोद पुत्र एवं वसीयत उत्तराधिकारी दर्ज करवाने हेतु अधीनस्थ न्याया... पत्र पेश किया। तहसीलदार बारां द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का ... दिनांक 05.05.2021 को निर्णय पारित कर दिया गया। ... द्वारा अतिरिक्त ...य आयुक्त कोटा के यहां की हुई है। अपीलान्ट व रेस्पोंडेट्स ... जाति से है। रेस्पों... 1 ता 3 मीणा जाति से होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नही होती है। जिसके तहत शादी शुदा पुत्रियों को नाता प्रथा प्रचलित होने के कारण पुत्र की मौजूदगी में पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार नही दिये जा सकते। अपील दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

होने के पश्चात नोटिस व आदेश 41 नियम 5 का प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय की आदेशिका पेश करने के उपरान्त भी तहसीलदार बारां द्वारा उक्त नामांतकरण नंबर 580 दिनांक 13.08.2021 को स्वीकृत कर दिया गया। तहसीलदार बारां का मूल आदेश दिनांक 05.05.2021 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां सबज्यूडिश होते हुए भी उक्त नामांतकरण को स्वीकार किया गया। जो नियम विरूद्ध है। सम्पत्ति अन्तकरण अधिनियम की धारा 52 के अनुसार कोई मामला अन्य न्यायालय में विचाराधीन है तो उस पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना नही की जा सकती । उक्त प्रावधान के कारण नामातंकरण नंबर 580 पर जारी आदेश मौजूदा कानून के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 580 दिनांक 13.08.2021 ग्राम बराना निरस्त फरमावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खातेदार रामकरण पुत्र श्रीकृष्ण जाति मीणा की मृत्यु हो जाने पर अपीलांट द्वारा बहैसियत गोद पुत्र एवं वसीयती उत्तराधिकारी उक्त भूमि का नामान्तकरण अपीलांन्ट के नाम करने की प्रार्थना तहसीलदार बारां के यहां की गई। तहसीलदार बारां द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 05.05.2021 पारित कर दिया गया। अपीलान्ट व रेस्पोंडेट्स मीणा जाति से है। जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नही होती है। अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 05.05.2021 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, कोटा के यहां प्रस्तुत अपील में माननीय न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.05.2021 को आदेश दिनांक 09.11.2021 से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु रिमांड कर दिया। दौराने अपील अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन नामान्तरकरण खोला जाकर निर्णय दिनांक 05.05.2021 अनुसार दर्ज कर तस्दीक कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोंडेट्स मीणा जाति से होने के कारण उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) लागू नही होती है। मीणा जाति में शादी शुदा पुत्रियों को नाता प्रथा प्रचलित होने के कारण पुत्र की मौजूदगी में पिता की सम्पत्ति में किसी प्रकार के अधिकार नही दिये जा सकते। अपीलांट द्वारा गोदपुत्र एवं वसीयती उत्तराधिकारी होने के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में घोषणा का वाद प्रकरण संख्या 142/2021 पेश कर रखा है जो जैरकार है। नामान्तरकरण समरी ट्रायल एवं फिस्कल प्रोसिडिंग है जिसके आधार पर राईट्स तय नहीं किये जा सकते, पक्षकारान के अधिकार मूल वाद में तय होंगे। तब तक विधिक दृष्टांत अपीलाधीन नामांतरण का अस्तित्व नहीं है। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट ने आरआरडी 2014 पृष्ठ सं. 213 बउनवान कल्याण व अन्य बनाम [illegible] 2002 पृष्ठ सं. 31 बउनवान श्री बाई बनाम पान बाई व अन्य, आरआरडी 2009 [illegible] 03 श्रीमति पार्वतीदेवी व अन्य बनाम श्रीमति गुल्लीदेवी व अन्य, आर[illegible] श्रीमति केशान्ति व अन्य बनाम रामदास की छायाप्रतियां [illegible] अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 580 दिनांक 13.08.2021 ग्राम बराना निरस्त फ[illegible]वे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने कथन किया कि रेस्पोडेन्टस क्रम 1 ता 4 खातेदार रामकरण मीणा के विधिक वारिसान हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय

जिला कलक्टर
बारां (राज०)
न्यायालय जिला कलेक्टर

दिनांक 05.05.2021 तथा नामान्तरण तस्दीक किये जाने की तिथि को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार वाद लम्बित नहीं था। अपीलांट द्वारा वाद बाद में पेश किया गया है। अपीलांट का यदि मृतक रामकरण की सम्पत्ति में कोई अधिकार हैं तो वे जैरकार वाद में ही तय होगें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने विधिक दृष्टांत आरबीजे 2020 पृष्ठ संख्या 1 बउनवान पाखरसिंह बनाम किस्तूरीदेवी आदि, पृष्ठ सं. 301 बउनवान चांदकंवर व अन्य बनाम भीमसिंह व अन्य, आरबीजे 2021 पृष्ठ सं. 394 बउनवान मु. रतनबाई बनाम बत्तूलाल की छायाप्रतियां पेश कर अपील अपीलांट खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

रिपीटल में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2021 अनुसार अपीलाधीन नामान्तरण नल एण्ड वोईड हो गया। यदि उक्त नामान्तरकरण निरस्त नहीं किया जाता है तो रेस्पोडेन्टगण आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इन्तकाल नंबर 580 दिनांक 13.08.2021 ग्राम बराना निरस्त फरमावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली तथा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 05.05.2021 के आधार पर दर्ज किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय दिनांक 09.11.2021 से खारिज किया गया। अतः इसके आधार पर दर्ज नामांतकरण भी स्वतः ही निरस्त हो जाता है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम बराना का नामान्तरण संख्या 580 दिनांक 13.08.2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में जैरकार वाद के निर्णय अनुसार पुनः नये सिरे से नामातंकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.11.30 16:23:26 IST
Reason: SelfAttested